DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 20 जनवरी 2024 -DATED----------

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया, ईडब्ल्यूएस के छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे थे

सिफारिश : 101 निजी स्कूलों का जमीन आवंटन निरस्त होगा

एक्सक्लूसिव

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। दिल्ली के 101 निजी स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से सिफारिश की है। वहीं, उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर संस्थानों पर कार्रवाई करने की जानकारी दी है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कहा कि उन्होंने डीडीए से सौ से ज्यादा स्कूलों का भूमि आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है, जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ये स्कूल कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों के नियम को दरकिनार करते पाए गए हैं।

हलफनामे के अनुसार, इनमें से 62 स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने की सिफारिश 13 दिसंबर 2023 को डीडीए से की गई थी। वहीं, 39 स्कूलों के संबंध में इसी वर्ष 12 जनवरी को डीडीए को पत्र लिखा था।

महंगी भूमि सस्ते दामों में ली थी

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता खगेश झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने वर्ष 2013 में 350 निजी स्कूलों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इसमें दलील दी गई थी कि ये स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 25 फीसदी छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्होंने इसी शर्त पर महंगी जमीन सस्ते दामों में ली है। इसलिए इनके भूमि आवंटन को रद्द कर दिया जाए।

176 संस्थान चिह्नित किए थे

दिल्ली के सभी 13 जिलों में शिक्षा निदेशकों ने इन स्कूलों का निरीक्षण किया। इसके लिए 176 स्कूल चिह्नित किए गए थे। पहले चरण में 62 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इन 62 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करने के बाद 29 दिसंबर 2023 को नए सिरे से 114 संस्थानों की निरीक्षण सूची जारी की गई। इसमें से 91 की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई।

दिल्ली सरकार संचालन करेगी

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जिन स्कूलों की जमीन आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है, उन सभी स्कूलों का संचालन दिल्ली सरकार करेगी। इस बाबत पीठ को भी सूचित कर दिया गया है।

डीडीए ने आठ संस्थानों की लीज खत्म की

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, 101 में से आठ स्कूलों की जमीन की लीज खत्म कर दी गई है। वहीं, दो स्कूल ऐसे भी मिले हैं, जिनकी जानकारी और नाम समान हैं। दिल्ली सरकार की ओर से 13 दिसंबर 2023 को डीडीए से 62 स्कूलों की जमीन का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की गई थी। वहीं, इसी वर्ष 12 जनवरी दूसरी सूची में 39 और स्कूलों को शामिल किया गया था, जिनकी जमीनों का आवंटन निरस्त होना था।

अदालत ने वर्ष 2014 में कार्रवाई के आदेश दिए थे

इस बाबत उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर 2014 को आदेश पारित कर सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए थे। हालांकि, ठोस कदम न उठाए जाने पर इस मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस पर सरकार ने अब बताया है कि उसने 101 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी 23 स्कूल ऐसे हैं, जहां निरीक्षण होना बाकी है। इसके लिए 16 जनवरी को शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किया गया है। इनमें से छह स्कूलों को अभी तक तलाशा नहीं जा सका है।

स्कूल के लिए मिले प्लॉट पर घर बनाए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने नर्सरी स्कूल के नाम ली गई जमीन के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में शिक्षा निदेशालय ने माना है कि दो जगह ऐसी मिलीं, जो नर्सरी स्कूल के नाम पर डीडीए से ली गई, लेकिन मौके पर रिहायश है। हलफनामे में बताया गया कि शालीमार बाग और जीटीबी नगर में निजी स्कूल के लिए आवंटित जमीन पर घर बनाकर परिवार रह रहे हैं।

उन्होंने कुल 176 निजी नर्सरी स्कूलों का निरीक्षण किया। इनमें से 46 स्कूल जमीन लेने की शर्तों को पूरा करते पाए गए, जबकि 101 स्कूल नियमों की अवहेलना कर रहे थे। वहीं, दो स्कूलों की जानकारी एक समान मिली है।

नर्सरी और प्री-प्राइमरी के नाम पर जमीन ली थी : दरअसल, निजी स्कूलों के लिए जमीन नर्सरी, प्री-प्राइमरी, प्ले स्कूल और क्रेच के नाम पर ली गई थी। साथ ही, डीडीए को आश्वस्त किया गया था कि वह इन स्कूलों में 25 फीसदी सीटें कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आरक्षित रखेंगे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।

डीडीए फ्लैट के लिए पांच फरवरी से नीलामी होगी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आरामदायक फ्लैट के दूसरे फेज के तहत फ्लैट की ई-नीलामी 5 फरवरी को शुरू करेगा। आवेदनकर्ता 29 जनवरी तक फ्लैटों की बयाना राशि जमा कर सकते हैं। इन फ्लैट के लिए पंजीकरण डीडीए की वेबसाइट पर 31 तक कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, JANUARY 21, 2024

Cancel allotment of 101 nursery schools flouting land norms: DoE to DDA

'Schools didn't admit EWS kids, not recognised or traceable'

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, JANUARY 20

THE DIRECTORATE of Education (DoE) recently wrote to the Delhi Development Authority (DDA) to cancel the allotment of land to a total of 101 societies that are running nursery schools without ensuring admissions for students in the EWS (Economically Weaker Section) category, or where schools were found to be unrecognised, or not traceable.

The DoE has asked the DDA to allot these sites to the DoE instead to run government schools. A DDA spokesperson did not respond to questions.

In 2017, the DDA provided a list of 176 sites to the DoE that were allotted for setting up nursery schools on the condition that 25% of the students admitted would be from the EWS category.

In eight of these cases, the land allotment has already been cancelled or withdrawn by the DDA, according to an affidavit submitted by the DoE to the Delhi High Court earlier this week.

In 2013, a case was filed before the High Court alleging that nursery schools allotted land by the DDA are not complying with the conditions for land allotment. The HC had asked the DoE in 2014 to ensure on a yearly basis that all schools, including nursery schools, which have been allotted land on the condition of admitting 25% students from the EWS category, are complying with the norm.

The court order had said then that if schools are found not complying, the DoE will inform the DDA, which would immediately initiate the process of cancelling the lease of land.

A petition filed in 2019 in the matter had sought initiation of contempt proceedings for not complying with this order of the High Court.

In October last year, the HC directed the Delhi government to comply with the 2014 order, failing which contempt proceedings would be initiated.

The HC had then listed the matter for January 23 this year.

According to the DoE affidavit in the case submitted this week, it conducted inspections in 2018 and 2019. It wrote to the DDA in 2019 and in December 2023 asking the land agency to cancel the allotment of land to 52 societies, and allot the site to the DoE instead for running government schools.

In these 52 cases, the societies were found to be running unrecognised schools in violation of land allotment conditions. Another 91 sites were inspected in December 2023, and of these, 39 were found not complying with EWS criteria for admissions, while six were untraceable.

Inspection of the remaining sites is under way.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI JANUARY 21, 2024 -DATED----------

Sheesh Mahal to regain its past glory

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: After Mehrauli Archaeological Park, it is now time for the Mughal-era Sheesh Mahal in north Delhi's Shalimar Bagh to be restored to its past glory.

Lieutenant governor VK Saxena visited the historical garden on Saturday and directed the Delhi Development Authority (DDA) to work out a road map for redevelopment, restoration and rejuvenation of the "neglected" historical complex in close coordination with the Archaeological Survey of India (ASI).

Saxena said the Sheesh Mahal should be developed as a new destination for Delhiites and visitors to the national capital within six months.

The historical Shalimar Bagh, commissioned by Mughal ruler Shahjahan's wife Akbarbadi Begum and spread over 150 acres, houses the Sheesh Mahal, which was

VK Saxena during his visit to Shalimar Bagh

the site of the coronation of Aurangzeb in 1658. The site, said officials, was also used as a summer lodge during British times. The monument and the remains of the water channel leading to the fountain area were the only visible remnants of that era on the site.

"The LG expressed anguish that this architectural beauty of the medieval era was lying in a state of neglect due to the apathy of various government agencies. He directed officials to coordinate with each other for the restoration as has been done in the last one year for many such monuments in the capital," said an official.

The Mehrauli Archaeological Park, which was rejuvenated by ASI and DDA recently, witnesses a footfall of more than 1,500 visitors every day, added the official.

The Sheesh Mahal – Shalimar Bagh Complex, apart from having restored greens, gardens, repaired monuments, water channels and walkways, will also have a restaurant and other public utilities, once the exercise is completed. Officials said the LG had given specific instructions for rejuvenation of the waterbody.

During his two-hour inspection, Saxena asked DDA and ASI to immediately start cleaning the area and explore the remains of the water channel leading to the fountain area and restore them. He said that other structures around the monument would also be restored.

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 21 जनवरी 2024

LG ने शीशमहल, शालीमार बाग का किया दौरा, अनदेखी पर नाराज़गी जताई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को ऐतिहासिक शीशमहल और शालीमार बाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 150 एकड़ में फैले उद्यानों का भी जायजा लिया। उन्होंने डीडीए से तुरंत इसके जीर्णोद्धार के लिए काम शुरू करने और अगले छह महीने के अंदर इसका कायाकल्प करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मध्यकालीन युग की यह वास्तुशिल्प सुंदरता संबंधित एजेंसियों की उदासीनता के कारण उपेक्षित पड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस तरह से आपसी समन्वय के जरिए पिछले वर्ष दिल्ली के कई स्मारकों का कयाकल्प किया गया, ठीक उसी तर्ज पर इसका भी किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने खासतौर पर महरौली पुरातत्व पार्क का उल्लेख किया, जो शहर में एक नए गंतव्य के रूप में सामने आया है। यहां अब हर रोज 1500 से अधिक पर्यटक आते हैं।

अगले 6 महीने के अंदर पुराना गौरव बहाल करने के दिए निर्देश

उपराज्यपाल ने शनिवार को 150 एकड़ में फैले उद्यानों का जायजा लिया

शीशमहल, शालीमार बाग परिसर में हरियाली, उद्यान, वाटर चैनलों और पैदल मार्गों की मरम्मत के अलावा काम पूरा होने के बाद एक रेस्त्रां और दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सक्सेना ने परिसर में जलाशयों के कायाकल्प के लिए विशेष निर्देश दिए। सक्सेना को वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और आसपास के गांव वालों ने बताया कि पार्क के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया है और यह आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है।

पार्कों के ब्योरे और शिकायतों के लिए वेबपोर्टल बनाएं: NGT

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने डीडीए और एमसीडी को अपने पार्कों से जुड़ा पूरा ब्योरा अपनी वेबसाइट पर डालने और उनके रखरखाव में कमी और अतिक्रमण की शिकायत के लिए एक वेबपोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस (जेएम) अरुण कुमार त्यागी की अगुवाई वाली बेंच ने यह निर्देश जारी किया। आदेश के मुताबिक, डीडीए और एमसीडी को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पार्कों की संख्या और उनके रखरखाव से जुड़ी जरूरी सूचना पूरे ब्योरे के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालनी है। उसमें पार्कों का नाम, रेवेन्यू नंबर, जियो कोऑर्डिनेट्स, साइज, अतिक्रमण (यदि कोई हो तो) और अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा शामिल है। उन्हें साइट पर भी बताना है कि कितने ऐसे पार्क है, जिनका इस्तेमाल सामाजिक, धार्मिक या विवाह जैसे निजी समारोह के लिए किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि डीडीए और एमसीडी एक वेब पोर्टल तैयार करेंगे जिस पर आम जनता पार्कों में अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और खराब रखरखाव की शिकायत दर्ज करा सके। उन्हें ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए उचित तंत्र बनाना होगा। एनजीटी ने दो संबंधित प्राधिकारों को इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट 31 मार्च तक या उससे पहले दायर करने का निर्देश भी दिया है। मामले में अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी। एनजीटी राजाराम सी अय्यर नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने मयूर विहार, पॉकेट-1 के बुद्ध पार्क में ऐसी गतिविधियों की शिकायत की थी। मुद्दे पर विचार करते हुए ट्रिब्यूनल ने पाया कि दिल्ली में काफी सारे ऐसे पार्क है, जिनका इस्तेमाल शादी के पंडाल बनाने और कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए हो रहा है।

NGT ने आदेश पर अमल की रिपोर्ट 31 मार्च तक दायर करने के लिए कहा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2024 ATED----------

छह माह में होगा शीश महल का पुनर्विकास : उपराज्यपाल

- मुगलकालीन शीश महल शालीमार बाग का किया दौरा, उपेक्षा पर जताई नाराजगी
- डीडीए और एएसआइ को छह महीने के भीतर परिसर पुनर्विकास करने के निर्देश दिए

शीश महल • सौ. राजनिवास

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: दक्षिण दिल्ली में सल्तनत काल के महरौली पुरातत्व पार्क के बाद अब उत्तरी दिल्ली में मुगल काल के शालीमार बाग स्थित शीश महल का पुनर्विकास होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को शीश महल का दौरा किया और ऐतिहासिक स्थल की उपेक्षा को देखकर अपनी नाराजगी जताई। सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को शीश महल के पुनर्विकास और कायाकल्प के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने ऐतिहासिक शीश महल का दौरा किया और 150 एकड़ में फैले बगीचों का जायजा लिया। दो घंटे के दौरे में उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने बताया कि पार्क के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया है और यह आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। पार्क में ओपन जिम, नर्सरी और कंपोस्ट प्लांट समेत कई सुविधाएं हैं, जो बदहाल हैं। उपराज्यपाल ने दुख व्यक्त किया कि मध्यकालीन युग का यह वास्तुशिल्प संबंधित विभागों व एजेंसियों की उदासीनता के कारण बदहाल है। उन्होंने डीडीए को बगीचों के जीर्णोद्धार पर तुरंत काम शुरू करने और शीश महल के पुनर्विकास व कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया अगले छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। डीडीए और एएसआइ से क्षेत्र की सफाई का काम तुरंत शुरू करने को कहा।

वीके सक्सेना ने शीश महल शालीमार बाग परिसर में हरियाली, फव्वारा, मरम्मत किए गए स्मारकों, जल चैनलों और पैदल मार्गों के अलावा, काम पूरा होने के बाद रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी होंगी। उन्होंने महरौली पुरातत्व पार्क का उदाहरण दिया और बताया कि यह जगह नए पर्यटन केंद्र के तौर पर उभरा है। यहां हर रोज 1500 से अधिक पर्यटक आते हैं।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, रविवार, 21 जनवरी 2024

शीश महल का हो पुनर्विकास: एलजी

नई दिल्ली, प्र.सं.। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को शीश महल-शालीमार बाग का दौरा किया।

उन्होंने नाराजगी जताते हुए छह महीने में परिसर का पुनर्विकास करने के निर्देश दिए। उप राज्यलाल ने ऐतिहासिक उद्यानों का दौरा किया। जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय करके इस ऐतिहासिक परिसर के पुनर्विकास और कायाकल्प का रोडमैप तैयार करें।

Hindustan Times
NEW DELHI
SUNDAY
JANUARY 21, 2024

LG asks DDA, ASI to repair 2 Mughal sites

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor (LG) VK Saxena visited the Shalimar Bagh and Sheesh Mahal on Saturday and took note of the damaged condition of the Mughal-era monuments in north Delhi. He directed the Delhi Development Authority (DDA) and Archaeological Survey of India (ASI) to start repair work immediately and finish the project within six months, officials aware of the matter said.

"After taking stock of the ground situation, Saxena directed DDA to chalk out a road map for the redevelopment, restoration and rejuvenation of the historic complex, in coordination with ASI," said an official from the LG's office.

The Sheesh Mahal is a palace that was constructed by Mughal emperor Shah Jahan and the garden, Shalimar Bagh, was commissioned by his wife, Akbarbadi Begum. "The Sheesh Mahal and Shalimar Bagh will also come up as a popular destination for Delhi residents and tourists," the official said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024 DATED----------

डीडीए ने 2,300 बोलीदाताओं के 460 करोड़ रुपये लौटाए

- बैंक खातों में पैसे डालने से आवेदकों को उत्पीड़न या लालफीताशाही का नहीं करना पड़ेगा सामना
- 2,300 बोलीदाताओं द्वारा बयाना राशि के रूप में जमा किए गए थे 460 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: डीडीए ने रिकार्ड समय में 2300 से अधिक बोलीदाताओं को 460 करोड़ रुपये से अधिक जारी कर दिए हैं। एलजी ने डीडीए को 15 दिन के भीतर आवेदकों के बैंक खातों में ईएमडी जमा करने का निर्देश दिया था, ताकि आवेदकों को किसी उत्पीड़न और लालफीताशाही का सामना न करना पड़े। माना जा रहा है कि यह कदम डीडीए में बदलती कार्य संस्कृति का सूचक है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में लगभग 2300 बोलीदाताओं द्वारा बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई थी। यह राशि उन निजी और कार्पोरेट बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों की थी जिन्होंने आवास योजना के तहत डीडीए के लिए काम किया था। एलंजी वीके सक्सेना ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आवेदकों को ईएमडी 15 दिन के भीतर जारी की जाए और प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाए। इसके बाद 50 बोलीदाताओं को छोड़कर सभी की ईएमडी उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है, और बैंकों के साथ विभिन्न प्रक्रियात्मक मुद्दों को सुलझाकर शेष भी जल्द ही जमा कर दिया जाएगी।

एलजी वीके सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। उनके मार्गदर्शन में प्राधिकरण पिछले एक साल के दौरान अपने लंबित इन्वेंट्री में से 8,000 से अधिक फ्लैट बेचने में सक्षम रहा है। हाउसिंग स्कीमं के लिए ई-नीलामी के दूसरे चरण में द्वारका के सेक्टर 19 बी में सात पेंटहाउस, 32 सुपर एचआइजी और 476 एचआइजी फ्लैट और सेक्टर 14 द्वारका में 192 एमआइजी फ्लैट उपलब्ध हैं।

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, JANUARY 22, 2024

After L-G order, DDA disburses Rs 460 crore to 2300 bidders

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has disbursed over Rs 460 crore to more than 2300 bidders, aligning with L-G VK Saxena's directive to credit Earnest Money Deposits (EMDs) within 15 days. The L-G had earlier requested the DDA to release the EMDs by adhering to a 15-day timeframe and to ensure bidders don't have to combat bureaucratic hassles to get their refund. According to officials, almost all bidders have received their EMDs and the remaining 50 will receive them soon. **ENS**

हिन्दुस्तान
.livehindustan.com
, सोमवार, 22 जनवरी 2024

फ्लैट बुक न करने वालों को बयाना राशि मिली

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लग्जरी फ्लैटों के लिए बोली लगाने वाले लोगों को बयाना राशि (ईएमडी) वापस दी जा रही है। डीडीए ने पांच जनवरी को पहले चरण के तहत ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए को बोली लगाने वालों की बयाना राशि 15 दिनों के अंदर देने के निर्देश दिए थे। डीडीए ने अब तक 2300 लोगों को कुल 460 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस कर दी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times NEW DELHI MONDAY JANUARY 22, 2024

DPCC fines DDA, MCD ₹1 lakh each

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has said it has imposed an environmental compensation (EC) penalty of ₹1 lakh each on both the Delhi Development Authority (DDA) and the Municipal Corporation of Delhi (MCD) for damaging the environment near Vasant Kunj's E1 and E2 pockets.

DPCC was acting on a petition filed in the National Green Tribunal (NGT) in September 2022 by the residents, alleging that movement of heavy vehicles on an unpaved road in the neighbourhood led to high dust pollution. It was also alleged that construction and demolition (C&D) waste was dumped openly. DPCC in its latest report submitted to NGT on January 11 said that showcause notices have been issued to both DDA and MCD in this regard.

"..DPCC has issued show cause notice on January 5, 2024, for imposition of Environmental Damage Compensation of ₹1 lakh to the Superintendent Engineer, DDA for past violations and damage to the environment. DPCC has also issued show cause notice on the same date for imposition of Environmental Damage Compensation of Rs 1 lakh to the Deputy Commissioner (Najafgarh Zone), MCD for past violations and damage to the environment damage," said the submission.

In a submission, MCD said it is working to pave the road and that water is being sprinkled regularly to control dust.

A section of the road, on which residents alleged that heavy vehicles pass by, falls under MCD, while the other section falls under DDA. The open land where waste was being dumped, also falls under DDA.

In its submission, DDA said it had cleared the debris and removed waste from the open land, subsequently building RCC walls around it. This, it said, was done to also prevent sewage from flowing into the open land, where a pond exists too.

HT reached out to DDA and MCD but neither responded to queries regarding the fines.

DDA releases ₹460cr EMD

NEW DELHI: The Delhi Development Authority has released ₹460 crore of earnest money deposits (EMDs) to 2,300 bidders who participated in the recent housing scheme under an expedited process, officials said on Sunday.

An LG official said that DDA has performed better than many private and corporate builders in releasing EMDs. HTC

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 22 जनवरी 2024

जिन्हें नहीं मिला फ्लैट, उन्हें 15 दिन में वापस मिलेंगे ₹460 करोड़

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

लग्जरी फ्लैट्स स्कीम में फ्लैट पाने में असफल रहे लोगों को अब डीडीए 460 करोड़ रुपये वापस करेगा। 2300 से अधिक बोलीदाताओं को पंद्रह दिनों में उनके द्वारा जमा करवाई ईएमडी (अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी) मिल जाएगी।

लग्जरी फ्लैट्स स्कीम में डीडीए लौटाएगा अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी

एलजी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार डीडीए ने पहली बार रेकार्ड समय में 2300 बोलीदाओं के लिए 460 करोड़ रुपये का फंड रिलीज कर दिया है। इसके साथ ही एलजी ने डीडीए को निर्देश दिया है कि सभी बोलीदाताओं के अकाउंट में ईएमडी अगले पंद्रह दिनों में पहुंच जाए। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा कि ईएमडी वापस करने के दौरान आवेदकों को किसी तरह की दिक्कतें न आएं। अधिकारी के अनुसार डीडीए अपनी कार्यशैली में बदलाव कर रहा है। अब प्राइवेट, कॉर्पोरेट बिल्डर और रियल इस्टेट कंपनी की तर्ज पर काम करने के लिए प्रयासरत है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानियां न हो। डीडीए ने बताया कि 50 बोलीदाताओं को छोड़कर अन्य सभी की ईएमडी उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुकी है। जिन 50 बोलीदाताओं का फंड अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है उसे भी जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक के प्रोसिजर इश्यू की वजह से इन अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाया है।

एलजी वी के सक्सेना के सुपरविजन में डीडीए ने बीते एक साल के दौरान नहीं बिक रहे फ्लैटों में से आठ हजार से अधिक फ्लैट बेचने में कामियाबी पाई है। दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम के सेकंड फेज में भी सात पेंटहाउस, 32 सुपर एचआईजी और 476 एचआईजी के फ्लैट्स द्वारका सेक्टर-19बी और 192 एमआईजी फ्लैट्स द्वारका सेक्टर-14 के ईऑक्शन की प्रक्रिया चल रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, JANUARY 22, 2024 ------DATED----------

Doors of more shelter homes shut for homeless people

Ridhima.Gupta
@timesgroup.com

New Delhi: Space is shrinking for the homeless as Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) has removed more shelters, forcing homeless people to live on roads in the biting winter.

DUSIB has now closed five shelter homes near Dandi Park, adjoining Sant Parmanand Hospital Nigambodh Ghat near Kashmere Gate.

Opposing the move, especially during the chilling winter, human rights activists have written to chief minister Arvind Kejrewal, urging him to look into the matter.

On Saturday, at 11.30 AM, residents of the shelter home were asked to vacate the place and the DUSIB locked the premises.

Last month, as part of the winter action plan, DUSIB had put up additional pagoda temporary shelters at Dandi Park site. Now they have been removed. DUSIB CEO Manish Gupta refused to comment on the issue.

Earlier speaking to **TOI**, DUSIB officials said on the condition of anonymity that the six shelter homes that could accommodate over 300 people are on DDA land. An official said: "The main reason we have to remove the shelter homes is because DDA is asking DUSIB to vacate the land."

AN OFFICIAL SAYS

The shelter homes are close to the Yamuna floodplain and are at a risk of (attacks from) pests like scorpions, rats and other insects. Further, during floods, there is also the possibility of these shelter homes getting inundated

Citing other reasons mentioned in the writ petition to raze the shelter homes, DUSIB said: "The shelter homes are close to the Yamuna floodplain and are at a risk of (attacks from) pests like scorpions, rats and other insects. Further, during floods, there is also the possibility of these shelter homes getting inundated," the official said.

At the start of 2023, DUSIB's nine shelter homes were demolished. Following this, Supreme Court in March ordered a hold-back on additional demolition of shelters for the urban homeless without its approval. In October 2023, DUSIB submitted a writ petition to the court, asking for the removal of six shelter homes that are around Dandi Park, near the Pushta area.

Questioning the intentions of DUSIB, human right activist Sunil Aledia from Centre For Holistic Development said that forcing people to be on the road in this biting cold was inhuman. "The government should have made more arrangements to make these shelter homes available to the homeless. On the contrary, officials are planning to raze the existing shelter homes. Most of the people staying at these shelter homes work as daily-wage laborers in nearby places and now are on the road. DUSIB has to be accountable," the activist said on Sunday. He said he has written to the CM.

Over ₹460-crore earnest money released by DDA

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has already released more than Rs 460 crore deposited as earnest money deposit (EMD) by 2300 bidders while applying for the authority's flats in ongoing housing schemes, said Raj Niwas.

Lieutenant governor VK Saxena had directed DDA to ensure that EMDs are released to the applicants within 15 days and asked for strict compliance of the procedures ensuring that no applicant has to approach the authority for his booking amount or is harassed by red tape, said an LG house official.

"EMDs of all but 50 bidders have been credited to their bank accounts, and the remaining, held up due to various procedural issues with the banks will be credited soon," the official said.

The EMD for MIG is Rs 10 lakh, Rs 15 lakh for HIG, Rs 20 lakh for super HIG and Rs 25 lakh for penthouses.

Under the supervision of Saxena, who is also DDA chairman, the authority has been able to sell more than 8,000 flats out of its pending inventory during the past one year due to consumer-friendly tweaking of rules and an aggressive marketing strategy, said Raj Niwas.

The Phase II of the e-auction being undertaken for the ongoing housing scheme includes seven penthouses, 32 super HIGs and 476 HIG flats on offer in sector 19B of Dwarka and 192 MIG flats in sector 14 Dwarka.

Apart from this, the first-cum-first-serve scheme for various other flats spread across the city was also operational. TNN

MCD & DDA penalised for dumping C&D waste

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has submitted an action-taken report to National Green Tribunal (NGT) on the pollution caused by dumping of construction and demolition waste near residential complexes in Vasant Kunj. In the report, DPCC stated to have issued a show cause notice to Delhi Development Authority (DDA) and Municipal Corporation of Delhi (MCD) and an environmental compensation of Rs 1 lakh was imposed.

The tribunal had constituted a joint committee of DDA, DPCC and district magistrate (South West Delhi) in Sept 2022 to verify the factual position about heavy vehicular movement and dumping of construction material on the vacant land adjacent to Sector E-2, Vasant Kunj.

After inspecting the area in Dec 2022, the committee issued directions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Environmental (Protection) Act, 1986 along with Construction and Demolition Waste Rules, 2016 to DDA and MCD. As the issue remained unresolved, NGT in Nov 2023 ordered the DPCC to issue show cause notices and impose penalty on the DDA and MCD.

"DPCC has issued show cause notice on Jan 5, 2024 for imposition of Environmental Damage Compensation of Rs 1,00,000 to the superintendent engineer, DDA for past violations and damage to the environment," stated DPCC report dated Jan 11, uploaded on NGT website on Saturday.

A similar show cause for damages of Rs one lakh was sent to MCD deputy commissioner (Najafgarh Zone), said the report, adding both agencies were yet to submit their replies to the concerned authority.

In 2022, residents of Sector RE02 and E-1, Vasant Kunj approached NGT regarding pollution caused by continuous heavy vehicular movement due to presence of godowns, big cargo stores, warehouses in Rangpuri Pahari area causing serious health hazard to residents.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

रविवार • 21 जनवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

NAME OF ---DATED----------

शीश महल की उपेक्षा पर एलजी ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को राजधानी के उत्तरी हिस्से में स्थित शीश महल- शालीमार बाग का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुगलकाल के शीश महल की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एवं पुरातत्व विभाग को छह महीने में शीश महल का जीर्णोद्धार कर संरक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के बाद अब मुगलकालीन शीश महल की बारी है। इसके गौरव को पुनः बहाल किया जाएगा। पर्यटकों के लिए यह शीशमहल-शालीमार बाग परिसर नए गंतव्य के रूप में सामने आएगा।

- जीर्णोद्धार कर संरक्षण के दिए निर्देश
- महरौली पुरातत्व पार्क के बाद शीश महल-शालीमार पार्क सबसे अहम पर्यटक स्थल होगा : एलजी

उप-राज्यपाल ने शनिवार को मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी अकबरबादी बेगम द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक उद्यानों का भी निरीक्षण किया। शीश महल को बादशाह ने बनवाया था। निरीक्षण के दौरान पूरी स्थिति जानने के बाद उप-राज्यपाल ने डीडीए एवं पुरातत्व विभाग को आपसी समन्वय के बाद उपेक्षित परिसरों को विकसित करने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान वह शीशमहल में पहुंचे, जहां 1658 में औरंगजेब को बादशाह का ताज पहनाया गया था। 150 एकड़ में फैले बगीचे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियों की उदासीनता के चलते यह मध्यकालीन वास्तुकला की सुंदरता उपेक्षित पड़ी है। उप-राज्यपाल ने कहा कि बीते करीब एक साल में दिल्ली के कई स्मारकों को संरक्षित किया गया है, उसी तर्ज पर इसे भी संरक्षित किया जाए। महरौली पुरातत्व पार्क का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक नए गंतव्य के रूप में सामने आया है और यहां रोज 1500 से अधिक लोग पर्यटन के लिए आते हैं। शीश महल-शालीमार बाग का परिसर की हरियाली, उद्यान, स्मारकों, वाटर चैनलों और पैदल मार्गों की मरम्मत के अलावा काम पूरा होने के बाद रेस्तरां और दूसरी सुनिधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि जलाशयों के कायाकल्प के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहां बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और आसपास के गांव के लोगों से पता चला है कि पार्क के बड़े हिस्से पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है। फिलहाल यह आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने एक-एक चीज को बड़े नजदीक से देखा और परखा। निरीक्षण के बाद उन्होंने डीडीए और एएसआई को तत्काल काम शुरू करने को कहा है। सफाई के दौरान फव्वारे तक जाने वाले वाटर चैनल के बचे अवशेषों का पता लगाकर उसे बहाल करने को कहा। पार्क में मौजूद ओपन जिम, नर्सरी, कंपोस्ट प्लांट समेत कई सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। इतिहास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि शाहजहानाबाद के उत्तर में मुगलों के द्वारा बनाए गए कई उद्यानों में से शालीमार बाग सबसे बड़ा है। शीश महल और बाग, मुगल बादशाह औरंगजेब का कंट्री हाउस भी था। ब्रिटिश काल में इस स्थान का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में लॉज के रूप में किया जाता था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

ार • 21 जनवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

डीडीए को भेजा सौ से ज्यादा स्कूलों की भूमि की लीज रद्द करने का प्रस्ताव

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने इन स्कूलों को सस्ती दरों पर आवंटित भूमि की लीज रद्द करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सिफारिश भेजी है। डीडीए ने ईडब्ल्यूएस के बच्चों को निशुल्क दाखिला देने की शर्त पर सस्ती दरों पर इन स्कूलों को भूमि आवंटित की थी। सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी तय की है।

सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा के समक्ष पेश अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने ऐसे सौ से अधिक स्कूलों की आवंटित भूमि को रद्द करने की सिफारिश डीडीए से की है। क्योंकि वे भूमि आवंटन की शर्त की

■ निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को दाखिला नहीं देने का मामला

अवहेलना कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि ये स्कूल ईडब्लयूएस के छात्रों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर उनका नामांकन न कर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में डीडीए को आवंटित जमीन की लीज डीड को रद्द करने को कहा गया है।

निदेशालय ने यह भी कहा है कि इन स्कूलों की जमीन आवंटन लीज रद्द होने के बाद उन सभी स्कूलों का संचालन दिल्ली सरकार से कराने का फैसला किया है। 52 स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने की सिफारिश 13 दिसम्बर 2023 को डीडीए से की गई है। जबकि 39 स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने की सिफारिश डीडीए को 12 जनवरी 2024 को की गई है। निदेशालय ने कहा कि जांच में पाया गया कि 46 निजी नर्सरी स्कूल भूमि आवंटन की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं और निर्धारित 25 फीसदी सीटों पर ईडब्ल्यूएस छात्रों का का नामांकन कर रहे हैं। वैसे जांच अभी भी जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में स्थित 23 स्कूलों का निरीक्षण अभी बाकी है। संबंधित स्कूलों के निरीक्षण के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएंगी।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013 में 350 निजी स्कूलों के खिलाफ जनिहत याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि ये स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 25 फीसदी छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। जबकि उन्होंने इसी शर्त पर स्कूल की मंहगी जमीन सस्ते दामों में डीडीए से ली है। इसलिए इनके भूमि आवंटन को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने उसके बाद सरकार को स्कूलों की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | JANUARY 21, 2024

Restore Sheesh Mahal, Delhi LG directs DDA

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor (LG) Vinai Kumar Saxena on Saturday directed the Delhi Development Authority (DDA) to work out a road map for restoration and rejuvenation of Sheesh Mahal in Shalimar Bagh in north Delhi.

He issued these orders after visiting the historical gardens, commissioned by the wife of Mughal Emperor Shah Jahan, Akbarbadi Begum,and that houses the Sheesh Mahal constructed by the emperor himself, officials said.

After taking stock of the situation on ground, Saxena directed the DDA to work out a road map for the redevelopment, restoration and rejuvenation of the hitherto lying neglected, historic complex, in coordination with the Archeological Survey of India (ASI).

The LG also visited the historic Sheesh Mahal in the park, which was the site of coronation of Emperor Aurangzeb in 1658, and also took stock of the gardens, spread over 150 acre.

He instructed the DDA to

immediately start works on the restoration of gardens and complete the entire process of redevelopment/rejuvenation within the next six months.

Saxena expressed anguish that this architectural beauty of the medieval era was lying in a state of neglect due to apathy of the stakeholder departments/agencies and directed their officials to coordinate with each other for the restoration as has been done in last one year for many such monuments in the National Capital.

The most notable of these has been the Mehrauli Archaeological Park, which has emerged as a new destination in the city, witnessing a footfall of more than 1500 visitors on a daily basis.

The Sheesh Mahal – Shalimar Bagh Complex, apart from having restored greens, gardens, repaired monuments, water channels and walkways, will also have a restaurant and other public utilities, once the exercise is completed. Saxena gave specific instructions for rejuvenation of the water body in the complex.

Saxena was told by local residents including people from neighbouring urbanized village, who were present there in large number, that huge tracts of the park had been encroached upon and had become a den for criminal activities.

During his two hours inspection, Saxena asked the DDA and ASI to immediately start cleaning work of area and explore the remains of water channel leading to the fountain area and restore them. He said other structures around the monument would also be restored. The park has various facilities including open gym, nursery and compost plant, lying in a state of disrepair.

millenniumpost
SUNDAY, 21 JANUARY, 2024 | NEW DELHI

L-G visits Shalimar Bagh, asks DDA to team up with ASI for its redevelopment

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Saturday visited the Mughal-era Shalimar Bagh and directed the DDA to chalk out a road map for the redevelopment and restoration of the historic complex in coordination with the Archaeological Survey of India (ASI), an official statement said.

After taking stock of the situation on ground, Saxena directed the Delhi Development Authority (DDA) to draw up a road map for the redevelopment, restoration and rejuvenation of the "hitherto lying neglected" historic complex, in coordination with the ASI, the statement said.

The L-G also visited the historic Sheesh Mahal in the park, which was the site of coronation of Emperor Aurangzeb in 1658, and also took stock of the gardens, spread over 150 acre, it said.

He instructed the DDA to immediately start works on the restoration of gardens and complete the entire process of redevelopment/rejuvenation within the next six months, it stated.

Saxena expressed anguish that this architectural beauty of the medieval era was lying in a state of neglect due to apathy of the stakeholder departments/agencies and directed their officials to coordinate with each other for the restoration as has been done in the last one year for many such monuments in the national capital, it said.

The most notable of these has been the Mehrauli Archaeological Park, which has emerged as a new destination in the city, witnessing a footfall of more than 1,500 visitors on a daily basis, it stated.

"The Sheesh Mahal Shalimar Bagh complex, apart from having restored greens, gardens, repaired monuments, water channels and walkways, will also have a restaurant and other public utilities, once the exercise is completed. Saxena gave specific instructions for rejuvenation of the water body in the complex," the statement said.

Local residents, including people from neighbouring urbanised village, told the LG that huge tracts of the park had been encroached upon and had become a den for criminal activities, it said.

During his two-hour inspection, Saxena asked the DDA and ASI to immediately start cleaning work of the area and explore the remains of water channel leading to the fountain area and restore them. He said that other structures around the monument would also be restored, the statement said.

The park has various facilities, including open gym, nursery and compost plant, lying in a state of disrepair.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
रविवार, 21 जनवरी 2024

मुगलकालीन शीश महल का फिर लौटेगा पुराना गौरव

छह माह में होगा पुनर्विकास, दौरा करने पहुंचे एलजी ने डीडीए और एएसआई को दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मुगलकालीन शीश महल का पुराना गौरव एक बार फिर लौटेगा। मौजूदा समय में शालीमार बाग स्थित इस महल की हालत काफी खराब है। अगले छह माह में दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका पुनर्विकास करेंगे।

दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना शनिवार को अधिकारियों के साथ शीश महल का दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूदा उपेक्षा पर अफसोस जताया। साथ ही डीडीए और एएसआई को छह माह में परिसर को उसके पुराने गौरव को दिलाने और इसका पुनर्विकास करने का आदेश दिया।

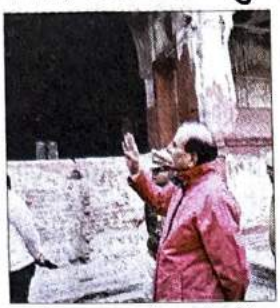

शीश महल का दौरा करने पहुंचे उपराज्यपाल। अमर उजाला

उनका कहना है कि दक्षिणी दिल्ली में सल्तनत काल के महरौली पुरातत्व पार्क के बाद अब उत्तरी दिल्ली में शालीमार बाग स्थित शीश महल परिसर दिल्ली के लोगों और पर्यटकों के लिए एक घूमने की नई जगह होगी।

इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि एलजी ने शनिवार को मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी अकबरबादी बेगम द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक उद्यान का दौरा किया। इसमें सम्राट ने खुद शीश महल बनवाया था। मौजूदा समय में इसकी हालत काफी खराब है। एलजी ने इसके पुनर्विकास के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एलजी ने पार्क में ऐतिहासिक शीश महल का भी दौरा किया। यह 1658 में सम्राट औरंगजेब के राज्याभिषेक का स्थल था। उन्होंने 150 एकड़ में फैले बगीचों का भी जायजा लिया। एलजी ने डीडीए को बगीचों के जीर्णोद्धार पर तुरंत काम शुरू करने और इनका कायाकल्प छह महीने के भीतर करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इसमें मिलकर काम करने का निर्देश दिया है।

यह होंगी सुविधाएं

विकसित होने के बाद शीश महल परिसर में हरियाली, उद्यान, मरम्मत किए गए स्मारक, पैदल चलने के रास्ते, रेस्तरां सहित अन्य सुविधाएं होंगी। एलजी ने परिसर में जल निकाय के कायाकल्प के लिए विशेष निर्देश दिए। महरौली पुरातत्व पार्क के विकास के बाद यह शहर में एक नए गंतव्य के रूप में उभरा है, जिसमें दैनिक आधार पर 1500 से अधिक पर्यटक आते हैं।

पंजाब केसरी
दिल्ली, रविवार
21.01.2024

एलजी ने मुगलकालीन शीश महल बाग की बदहाली पर जताई चिंता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दक्षिण दिल्ली में सल्तनत कालीन महरौली पुरातत्व पार्क के बाद अब उत्तरी दिल्ली का शालीमार बाग स्थित मुगल कालीन शीश महल अब अपने पुराने गौरव में फिर से बहाल होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी अकबरबादी बेगम द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक उद्यानों का दौरा किया। यहां बादशाह द्वारा बनवाया गया शीश महल भी है। इस दौरान एलजी ने इस मध्यकालीन युग की वास्तुशिल्प सुंदरता की उपेक्षा पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने डीडीए को एएसआई के समन्वय से अब तक उपेक्षित रहे इस ऐतिहासिक परिसर के पुनर्विकास, बहाली और कायाकल्प के लिए एक रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया। एलजी ने कहा कि अगले छह महीने के अंदर इसका पुनर्विकास/कायाकल्प किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों व एजेंसियों की उदासीनता के कारण उपेक्षित पड़ी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस तरह से आपसी समन्वय के जरिए पिछले वर्ष दिल्ली के कई स्मारकों को बहाल किया गया, ठीक उसी तर्ज पर इसे भी बहाल किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने खासतौर पर महरौली पुरातत्व पार्क का उल्लेख किया जो शहर में एक नए गंतव्य के रूप में सामने आया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 22 JANUARY, 2024

DDA released Rs 460 crore to 2,300 bidders in recent, ongoing housing scheme in record time

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority has released more than Rs 460 crore to over 2,300 bidders in its recent and ongoing housing scheme in record time, according to an official statement on Sunday.

Lt Governor VK Saxena had instructed the Delhi Development Authority (DDA) to credit Earnest Money Deposits (EMDs) in the bank accounts of applicants within 15 days to ensure that they do not face harassment and red tape, it stated.

"In a record of sorts, that is indicative of the changing work culture at the DDA, the agency has already released more than Rs 460 crore deposited with it as EMD by about 2,300 bidders in its recent and ongoing housing scheme. In doing so, the DDA has bettered many private and corporate builders and real estate companies," the statement said.

"Saxena had directed the DDA to ensure that EMDs are released to the applicants within 15 days and asked for strict compliance to procedures that ensured that no applicant has to approach the DDA for his EMD or is harassed by red tape," it said.

EMDs of all but 50 bidders have been credited to their bank accounts. The remaining is held up due to various procedural issues with the banks and will be credited soon, the statement said.

Under the guidance and direct supervision of Saxena, who is also the DDA chairman, the authority has been able to sell more than 8,000 flats from its pending inventory during the past year, it stated.

Phase-II of the e-auction being undertaken for the ongoing housing scheme has seven penthouses, 32 Super HIG and 476 HIG flats in Sector 19B of Dwarka and 192 MIG flats in Dwarka's Sector 14.

Apart from this, the first-cum-first-serve scheme for various other flats spread across the city is also operational, the statement added.

amarujala.com
सोमवार, 22 जनवरी 2024

डीडीए ने 2300 से अधिक बोलीदाताओं को वापस किए 460 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने करीब 2300 बोलीदाताओं की जमा 460 करोड़ रुपये से अधिक की बयाना राशि (ईएमडी) वापस कर दी। पहली बार रिकार्ड सबसे कम समय में बोलीदाताओं की जमा राशि वापस की गई है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आवेदकों को ईएमडी 15 दिनों के भीतर जारी की जाए। साथ ही सभी प्रक्रियाओं का

एलजी ने 15 दिनों के भीतर आवेदकों को बैंक खाते में ईएमडी जमा करने का दिया था निर्देश

सख्ती से अनुपालन किया जाए। एलजी के आदेश के बाद 50 बोलीदाताओं को छोड़कर सभी की ईएमडी उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

बैंकों के साथ विभिन्न प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण शेष को जल्द ही जमा कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष है। उनके निर्देश पर डीडीए पिछले एक साल से लंबित इन्वेंट्री में से आठ हजार से अधिक फ्लैट बेचने में सक्षम रहा है।

मौजूदा चल रही हाउसिंग स्कीम के लिए की जा रही ई-नीलामी के दूसरे चरण में द्वारका के सेक्टर 19 बी में 07 पेंटहाउस, 32 सुपर एचआईजी और 476 एचआईजी फ्लैट और सेक्टर 14 द्वारका में 192 एमआईजी फ्लैट उपलब्ध हैं। इसके अलावा शहर भर में फैले विभिन्न अन्य फ्लैटों के लिए पहले-सह-पहले-पाओ (एफसीएफएस) योजना भी चालू है। ब्यूरो

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली
सोमवार, 22 जनवरी, 2024 | 02

सिर्फ 50 बोलीदाताओं को जमा राशि का इंतजार

2,300 बोलीदाताओं को 460 करोड़ रुपए ईएमडी जारी की

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने हाल ही में 2300 से अधिक बोलीदाताओं को त्वरित उत्तराधिकार के रूप में 460 करोड़ रुपए से अधिक बयाना राशि (ईएमडी) जारी करके एक रिकॉर्ड बनाया है। एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ईएमडी 15 दिनों की समय सीमा के भीतर आवेदकों के बैंक खातों में जमा की जाए। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य लालफीताशाही को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी आवेदक के पास शिकायत का कारण ना हो या उसे अपनी ईएमडी के संबंध में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं हो। ऐसे सख्त निर्देशों के बदौलत केवल 50 बोलीदाताओं को जमा राशि मिलने का इंतजार है। एलजी सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं।

फ्लैटों की ई-नीलामी का दूसरा चरण चल रहा है

हाउसिंग स्कीम की ई-नीलामी का दूसरा चरण मौजूदा समय में विभिन्न फ्लैटों के साथ चल रहा है। इसमें द्वारका सेक्टर-19 बी में 7 पेंटहाउस, 32 सुपर एचआईजी और 476 एचआईजी फ्लैट शामिल हैं।